न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 10/2018 (राजसमन्द डिक्की)

1. गमेरलाल पिता प्रतापजी बलाई, निवासी थोरियों का गुड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. खुमाराम पिता प्रतापजी बलाई, निवासी थोरियों का गुड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. ऊंकार पिता रताजी बलाई, निवासी थोरियों का गुड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. चम्पालाल पिता रताजी बलाई, निवासी थोरियों का गुड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. चुन्नीलाल पिता रताजी बलाई, निवासी थोरियों का गुड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. लोगरिया पिता दल्लाजी बलाई, निवासी थोरियों का गुड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. तारू पिता भेराजी बलाई, निवासी थोरियों का गुड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
6. भंवरिया पिता भेराजी बलाई, निवासी थोरियों का गुड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्की उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा
दिनांक 18–12–2017 प्र.सं. 8/2010

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री राजेश सिंघवी अभिभाषक रे॰सं॰ 1 से 6
3– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभि॰ रे॰सं॰ 7

———::———

निर्णय **दिनांक 25–02–2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध

एक वाद बाबत अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मचीन्द फला थोरियों का गुडा के राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दी संख्या 200 में अंकित आराजियात जिनका वर्णन वाद पत्र के परिशिष्ट ''अ'' में किया गया है, में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 से 7 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 8 व 9 का 1/4 हिस्सा है। उक्त आराजियात का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है, लेकिन पक्षकारान अपनी सुविधानुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। अतः पक्षकारान के मध्य उपरोक्तानुसार विभाजन किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 8 व 9 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया तथा जवाबदावे की कलम संख्या 2 अनुसार पारिवारिक सजरा बताते हुए उक्त सजरे अनुसार विभाजन किये जाने का निवेदन किया तथा काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर परिशिष्ट ''अ'' में वर्णित भूमियां मौरूसी होना बताते हुए वादग्रस्त भूमियों में अपना 1/2 हिस्सा होना बताया एवं इसी अनुसार विभाजन किया जाकर घोषणा एवं इन्द्राज दुरस्ती करने की प्रार्थना की।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर कुल 4 तनकियां कायम की गयी तथा अपने निर्णय दिनांक 18–12–2017 से तनकी नंबर 1 व 2 जिनको साबिक का भार वादी पर था, वादी का वाद अदम पैरवी एवं अदम पैरवी में खारिज हो जाने से उनका विवेचन किये जाना आवश्यक नहीं होना बताया तथा तनकी नंबर 3 जिसे साबिक करने का भार प्रतिवादी संख्या 8 व 9 पर था, प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के विरूद्ध निर्णित करते हुए उनका काउण्टर क्लेम खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/ प्रतिवादी संख्या 8 व 9 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 14–02–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 की ओर से वकील श्री राजेश सिंघवी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. के आवेदन के साथ जमाबन्दी संवत् 1990 महकमा बन्दोबस्त की सच्ची प्रतिलिपि, जमाबन्दी संवत् 2016 से 2019 की सच्ची प्रतिलिपि, जमाबन्दी संवत् 2020 से 2022 की सच्ची प्रतिलिपि तथा भू–प्रबन्ध विभाग का खसरा पत्र प्रस्तुत कर उन्हें रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

उक्त आवेदन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त दस्तावेज असत्य एवं मनगढन्त होने से उन्हें रेकार्ड पर लिये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमारे द्वारा उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली अवलोकन किया। प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतिलितियां होने से उनके फर्जी एवं बनावटी होने से संभावना नहीं है। अतः न्यायहित में प्रस्तुत दस्तावेजात रेकार्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत सजरे पर कोई गौर नहीं किया है, जबकि अपीलान्ट ने यह सिद्ध करवाया था कि चेना पिता रूपा के दो लड़के भेरा व प्रताप होकर दोनों का 1/2, 1/2 हिस्सा था। प्रताप के स्वर्गवास के बाद उसके 1/2 हिस्से पर अपीलान्टगण काबिज हैं, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा अपीलान्टगण को विवादित आराजियात के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 3 जिसे साबिक कराने का भार अपीलान्टगण/प्रतिवादी संख्या 8 व 9 पर था, इनके द्वारा साबित नहीं करा पाने के कारण इनका काउण्टर क्लेम खारिज किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 8 व 9

की ओर से स्वयं के अलावा स्वतंत्र गवाह कना पिता भेरा गाडरी व हिमा पिता भूरा मेघवाल के बयानों से अपने काउण्टर क्लेम को साबित कराया है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में उनका कोई विवेचन नहीं किया है। न्यायालय हाजा में अपीलान्टगण द्वारा आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. के आवेदन के साथ जो जमाबन्दी संवत् 1990 महकमा बन्दोबस्त राज्य उदयपुर मेवाड की प्रस्तुत की है, उसमें वादग्रस्त आराजियात के साबिक नंबरान चेना वल्द रूपा के खातेदारी में अंकित है तथा अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 8 व 9 द्वारा प्रस्तुत काण्उटर क्लेम की कलम संख्या 2 में अंकित सजरे अनुसार चेना वल्द रूपा के दो पुत्र भेरा व प्रताप थे, जिससे चेना की भूमियों में भेरा का 1/2 हिस्सा प्रताप का 1/2 हिस्सा है। भेरा के दो पुत्र दला व रता तथा प्रताप के दो पुत्र अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 8 व 9 गमेरलाल व खूमाराम हुए। इस प्रकार अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 8 व 9 जो प्रताप के पुत्र हैं उनका विवादित भूमियों में 1/2 हिस्सा होना साबित है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई गौर नहीं किया है, जबकि अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 8 व 9 द्वारा प्रस्तुत सजरे एवं उनके ओर से प्रस्तुत स्वतंत्र गवाहों के बयानों के खण्डन की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–12–2017 अपास्त की जाती है तथा अपीलान्टगण को वाद पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट ''अ'' की कुल किता 30 रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा भूमि के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 25–02–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

गमेरलाल पिता प्रतापजी बलाई नि0 थोरियों का गुडा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजमसन्द व अन्य बनाम **ऊंकार पिता रताजी बलाई, नि0 थोरियों का गुडा, तह. नाथद्वारा, जिला राजमसन्द व अन्य**

अपील नं.....**10/2018**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **नाथद्वारा** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....18**.....माह.....**12**.....**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**25**....माह.....**02**.....सन् **2020** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री संजय बोहरा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री राजेश सिंघवी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–12–2017 अपास्त की जाती है तथा अपीलान्टगण को वाद पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट "अ" की कुल किता 30 रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा भूमि के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**25**.....माह.....**02**.....**2020** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.03.02 14:28:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: